क्रम-संख्या–89

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2016

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

(विधायी अनुभाग–1)

संख्या 584 / 79–वि–1–16–1(क)9-2016
लखनऊ, 7 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016, पर दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2016)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, की धारा 3 में, उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993) का अधिनियमन शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) में यह उपबंध किया गया है कि जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत समझी जायेगी।

उक्त उपबन्ध को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 49778/2015, आलोक कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के माध्यम से यह अभिकथित करते हुए चुनौती दी गयी है कि यह असंवैधानिक है। उक्त रिट याचिका में निवेदित राहत को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करके उसकी धारा 3 की उपधारा (5) को निकाल दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
VIDHAYI ANUBHAG–1

No. 584(2)/79-V-1–16-1(ka)9-2016
Dated Lucknow, April 7, 2016

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon ke Ashrit aur Bhootpoorva Sainikon ke liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 6, 2016.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 12 of 2016)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislaure)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2016.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1993

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, sub-section (5) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 (U.P. Act no. 4 of 1993) has been enacted to provide for the reservation of post in favour of physically handicapped, dependants of freedom fighters and ex-servicemen. In sub-section (5) of section 3 of the said Act, it is provided that where, due to non-availability of suitable candidates, any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled, it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed.

The said provision has been challenged before the Hon'ble High Court, Allahabad through writ petition No. 49778/2015, Alok Kumar Singh and Others *Vs* State of U.P. and Others alleging it unconstitutional. Keeping in view of the relief prayed in the said writ petition it has been decided to amend the aforesaid Act to *omit* sub-section (5) of section 3 thereof.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 32 राजपत्र (हि0)–2016–(50)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 विधायी–2016–(51)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।